बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या–3/स्था० रा० भू० वि० शक्ति–2024/2007–828 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक–14/9/15

निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास, जल संसाधन विभाग के पत्रांक–1456 दिनांक–27.08.2015 सामान्य प्रशासन का अधिसूचना सं0–11744 दिनांक–12.08.2015 के आलोक में श्री ऋषिदेव झा (बि0प्र0से0) विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना, सासाराम, (रोहतास) को भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभूआ) एवं बक्सर जिलों में विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना, सासाराम, (रोहतास) के रूप में भू–अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा–11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 (2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू–अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को भू–अर्जन अधिनियम, 1894 तथा संशोधित 1984 की धारा–4, 5 (ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/9/15
(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या–3/स्था० रा० भू० वि० शक्ति –2024/2007– 828 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक–14/9/15

प्रतिलिपि–प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, पटना/निदेशक भू–अर्जन एवं पुर्नवास जल संसाधन विभाग/सम्बन्धित समाहर्त्ता/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/9/15
(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या–3/स्था० रा० भू० वि० शक्ति –2024/2007– 828 (3)/रा०, पटना–15, दिनांक–14/9/15

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाईट पर इसे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/9/15
(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

D:\Rev.2015\Sec -3\Sep.Oct\Letter\Sasaram. 14-09-2015.doc